न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर०ए०एस०)

जीसीएमएस नं. 2025/449
मुकदमा नम्बर 138/2025 दावा दर्ज दिनांक–24.09.2025

उम्मेद सिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी ग्राम तोगडा कंला, तहसील नवलगढ, जिला झुझुनूं

–वादी

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम तोगडा कंला तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
2. प्रदीप कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम तोगडा कंला तहसील नवलगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–प्रतिवादी

दावा – घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जांगिड़
प्रतिवादी सं. 1 व 2 :– स्वंय पैरवी
प्रतिवादी सं. 3 :– पैरो. राज.

:: निर्णय :: निर्णय दिनांक 27.10.2025

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम तोगडा कलां मे स्थित जमीन खसरा नं. 527 रकबा 0.77 है0 सम्पूर्ण का व खसरा नं. 279 रकबा 0.22 है0 में 6/22 हिस्से का , खसरा नं. 280 रकबा 0.02 है0 में 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हजफ किया जावे एंव जमीन खसरा नं. 520 रकबा 2.59 है0 का प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव वादी का नाम हजफ किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्वंय उपस्थित इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। तहसीलदार नवलगढ कि और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर एतराज व्यक्त नही किया गया।

श.वादी में उम्मेद सिंह का शपथ पत्र पेश किया गया। दोनो पक्षों मे सहमति होने से सीधे ही बहस का निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्ष द्वारा बहस पेश करने पर बगौर सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

वकील वादी ने कथन किया कि, वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उपरोक्त प्रकार से किये गये विनिमय का एक विनिमय पत्र दिनांक 23.06.2025 को पंजीकृत करवा दिया है जिसकी छाया प्रति वाद के संलग्न है, जो उप पंजीयन कार्यालय मुकुन्दगढ में दिनांक 23.06.2025 को पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 67 में पृष्ट सं. 169 क्रम सं. 202503454100428 पर पंजीकृत हुआ है। इसलिये उक्त विनिमय दस्तावेज के आधार पर ग्राम तोगडा कलां मे स्थित जमीन खसरा नं. 527 रकबा 0.77 है0 सम्पूर्ण का व खसरा नं. 279 रकबा 0.22 है0 में 6/22 हिस्से का , खसरा नं. 280 रकबा 0.02 है0 में 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हजफ किया जावे एंव जमीन खसरा नं. 520 रकबा 2.59 है0 का प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एंव वादी का नाम हजफ किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे। वाद वादी स्वीकार किया जावे।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस तथा दोनो पक्षों की स्वीकृति होने तथा विनिमय दस्तावेज कि छाया प्रति के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्योयोचित है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा वादी एंव प्रतिवादीगण 1 लगा. 2 की आपस में आपसी सहमति के आधार पर भूमि की अदला–बदली/विनिमय के आधार पर खातेदारी दर्ज कर दी जावे। उक्त विनिमय दस्तावेज के आधार पर ग्राम तोगडा कलां मे स्थित जमीन खसरा नं. 527 रकबा 0.77 है0 सम्पूर्ण का व खसरा नं. 279 रकबा 0.22 है0 में 6/22 हिस्से का , खसरा नं. 280 रकबा 0.02 है0 में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया जाता है एंव जमीन खसरा नं. 520 रकबा 2.59 है0 का प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वादी का नाम हजफ किया जाने का आदेश दिया जाता है।

तद्नुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में विनिमय नियमों के तहत कोई रजिस्ट्रेशन,स्टाम्प शुल्क या अन्य कोई प्रभार बनता हो तो नियमानुसार गणना करवाकर वादीगण से जमा कर लिया जावे तद्पश्चात् ही आदेश के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद किया जावे। इसके लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर आदेश की नकल के साथ जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2025 / 449

मुकदमा नम्बर 138 / 2025 दावा दर्ज दिनांक–24.09.2025

(उम्मेद सिंह बनाम सुरेश कुमार वगै0)

दावा – घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

(डिक्री)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा वादी एंव प्रतिवादीगण 1 लगा. 2 की आपस में आपसी सहमति के आधार पर भूमि की अदला–बदली / विनिमय के आधार पर खातेदारी दर्ज कर दी जावे। उक्त विनिमय दस्तावेज के आधार पर ग्राम तोगडा कलां मे स्थित जमीन खसरा नं. 527 रकबा 0.77 है0 सम्पूर्ण का व खसरा नं. 279 रकबा 0.22 है0 में 6 / 22 हिस्से का , खसरा नं. 280 रकबा 0.02 है0 में 1 / 2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया जाता है एंव जमीन खसरा नं. 520 रकबा 2.59 है0 का प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वादी का नाम हजफ किया जाने का आदेश दिया जाता है।

तद्नुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में विनिमय नियमों के तहत कोई रजिस्ट्रेशन,स्टाम्प शुल्क या अन्य कोई प्रभार बनता हो तो नियमानुसार गणना करवाकर वादीगण से जमा कर लिया जावे तदपश्चात् ही आदेश के अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद किया जावे। इसके लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर आदेश की नकल के साथ जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन...........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............ फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 27 माह 10 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	3.00	मुतफरिक मिजान	1.00